न्यामूर्ति कमलजीत सिंह अहलूवालिया के समक्ष
स्वर्ण सिंह,-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और **अन्य**,-उत्तरदाता
Crl.M सं. एम-2005 का -44878

20अप्रैल, 2010

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 421, 482-नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985-एस. 15-याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 15 के तहत दस साल के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का दोषी ठहराया गया था-जुर्माने की चूक में, याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा का निर्देश दिया-याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया था-अपील खारिज होने के बाद विशेष निचली अदालत, करनाल ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत जुर्माने की वसूली के वारंट जारी किए गए थे ताकि याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि की वसूली की जा सके, जिसके अनुसार तहसीलदार ने याचिकाकर्ता की कृषि भूमि की नीलामी के लिए बिक्री घोषणा का नोटिस जारी किया-याचिकाकर्ता इस आधार पर उसकी जमीन बेचने के लिए आदेश को रद्द करने की प्रार्थना है कि वह जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उस पर लगाई गई सजा भुगतने को तैयार है।

अभिनिर्धारित है कि जब याचिकाकर्ता अपनी सजा काट रहा हो तो वसूली के वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं।यदि याचिकाकर्ता था, तो जुर्माने की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्धारित है कि जब याचिकाकर्ता अपन सम्पूर्ण सजा भुगत लेने के बाद वह स्वतंत्र है कि या तो जुर्माने का भुगतान करें अथवा जुर्माने का भुगतान न करने के कारण अतिरिक्त कारावास भुगते। यदि याचिकाकर्ता जुर्माने का भुगतान न कारावास भुगतने का विकल्प नहीं चुनता है, तो निचली निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(पैरा 7)

रंजीत सैनी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

मनीष देसवाल, उप महाधिवक्ता हरियाणा प्रतिवादी की ओर से।

न्यामूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया

(1) वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें आदेश दिनांकित 15.4.2004 (अनुलग्नक P2) को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत विशेष अदालत, करनाल द्वारा वसूली के वारंट जारी किए गए हैं।

(2) वर्तमान मामले के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट 1985 (इसके बाद "1985 अधिनियम"के रूप में संदर्भित) की धारा 15 के तहत दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का दोषी ठहराया गया था।जुर्माने का भुगतान न करने पर, याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा तीन साल के लिए कठोर कारावास का निर्देश दिया गया।

(3) निचली अदालत के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष अपील दायर की थी जिसे 29.10.2003 पर खारिज कर दिया गया था। अपील

को खारिज होने के बाद विशेष अदालत, करनाल द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत वसूली के वारंट जारी किए गए हैं ताकि वर्तमान याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि की वसूली की जा सके।आक्षेपित आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार मुजफ्फर नगर, यू. पी. ने याचिकाकर्ता की कृषि भूमि की नीलामी के लिए बिक्री घोषणा का नोटिस जारी किया है।नोटिस की प्रति वर्तमान याचिका के साथ संलग्नक पी 3 के रूप में संलग्न की गई है।इसने याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें इस आधार पर विवादित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है कि उसकी भूमि को बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि वह जुर्माने को भुगतने में चूक में लगाई गई सजा को भुगतने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि वह एक गरीब व्यक्ति है जिसके चार बच्चे हैं, जिनमें से तीन बेटियां विवाह योग्य उम्र की हैं।यह भी कहा गया है कि कृषि भूमि पूरे परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत है और यदि जुर्माने की वसूली के लिए इसकी नीलामी की जाती है तो याचिकाकर्ता और उसके परिवार को भारी कठिनाई होगी।

(4) मैंने पार्टियों के वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।इस न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि जब याचिकाकर्ता जुर्माने के भुगतान की चूक में उस पर लगाए गए दंड से भुगतने के लिए तैयार हो तो क्या जुर्माने की वसूली के लिए वसूली के वारंट जारी किए जा सकते हैं और इसके अनुसरण में दंडात्मक उपाय शुरू किए जा सकते हैं।

(5) आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय कि खण्ड पीठ द्वारा भोला राम बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले में निर्णायक रूप से दिया गया है। उस मामले में भी, याचिकाकर्ता को 1985 के अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया था और को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने का

भुगतान न करने पर याचिकाकर्ता को दो साल के कारावास का निर्देश दिया। जुर्माने की वसूली के लिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बरनाला की अदालत ने कलेक्टर, बरनाला को भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में जुर्माने की राशि की वसूली करने के लिए कहा और इसके अनुसरण में कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की पूरी भूमि को जब्त कर लिया था।क्या ऐसा किया जा सकता था, जब याचिकाकर्ता अपनी सजा भुगत रहा था, इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया था जो निम्नानुसार हैः

"421. जुर्माना लगाने के लिए वारंट-

(1) जब किसी अपराधी को जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है, तो सजा देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है, अर्थात -

(क) अपराधी से संबंधित किसी भी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि के उद्ग्रहण के लिए वारंट जारी करें;

(ख) जिले के कलेक्टर को एक वारंट जारी करें, जिसमें चूककर्ताओं की चल या अचल संपत्ति, या दोनों से भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएः

---

(1) 2009 (5) आर. सी. आर (आपराधिक) 485

तथापि, यदि सजा यह निर्देश देती है कि जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर अपराधी को कैद किया जाएगा, और यदि ऐसा अपराधी इस तरह के पूरे कारावास को भुगत चुका है, तो कोई भी अदालत ऐसा वारंट तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि वह विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक नहीं समझती

है, या जब तक कि उसने धारा 357 के तहत जुर्माने में से खर्च या मुआवजे के भुगतान का आदेश नहीं दिया है।"

(जोर दिया गया)।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"धारा 421 (1) Cr.P.C के प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई अपराधी चूक के कारण जुर्माने के बदले में लगाए गए पूरा कारावास भुगत चुका हो, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराधी की किसी भी अचल या चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि के उद्ग्रहण के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता है।यह केवल विशेष कारण से लिखित रूप में दर्ज किया जाना है कि राशि के उद्ग्रहण के लिए ऐसा वारंट हो सकता है। विधानमंडल का इरादा जैसा कि उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में राशि का एहसास करने के लिए कलेक्टर को कुर्की और बिक्री या वारंट जारी करके राशि के उद्ग्रहण के लिए वारंट जारी करने का चरण केवल तभी पहुंचेगा जब अपराधी ने जुर्माना देने या सजा काटने का विकल्प चुना हो।इस तरह के विकल्प का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपराधी मूल सजा को भुगत चुका हो। वह उस स्तर पर जुर्माना दे सकता है या वह सजा काटने का विकल्प चुन सकता है।इस तरह की व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की दिशा में झुकती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।" (जोर दिया गया)।

(7) भोला राम के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय निर्णायक रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रश्न का उत्तर देता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

जब याचिकाकर्ता अपनी सजा काट रहा हो तो वसूली के वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं।यदि याचिकाकर्ता जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उस पर लगाई गई सजा भुगतने को तैयार हो, तो जुर्माने की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। इसी से सम्भंधित निर्णय इस न्यायालय द्वारा राधे श्याम बनाम हरियाणा राज्य (2) और भार्गवन पिल्लई बनाम केरल राज्य (3) के मामले में केरल उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय हैं।कानून की सुव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता का मामला सफल होना तय है।इसलिए वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और विशेष न्यायालय, करनाल द्वारा पारित दिनांक 15.4.2004 (अनुलग्नक P2) के विवादित आदेश को निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन रद्द कर दिया जाता हैः

(i) अभिलेख पर रखे गए हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को कुल 21.04.2009 तक पांच साल, पांच महीने और सत्रह दिन की भुगत चूका है। याचिकाकर्ता के दस साल की पूरी सजा काटने के बाद वह या तो जुर्माना अदा करने के लिए स्वतंत्र होगा या जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन साल के लिए और कठोर कारावास भुगत सकता है।यदि याचिकाकर्ता जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास से भुगतने का विकल्प नहीं चुनता है, तो निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा** 421 के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ii) यदि याचिकाकर्ता जुर्माने का आंशिक भुगतान करने को तैयार है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के प्रावधान का लाभ उपलब्ध होगा। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक हिस्से के भुगतान पर कारावास की समाप्ति का प्रावधान करती है।

<u>अस्वीकरण:-</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

एस. संधू

---

(2) 2007(4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 230

(3) 2000 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 59